न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 06/23 (वाद)
GCMS No. : 2023/13

अनवान

1. श्री सलार मोहम्मद पुत्र सुगराबाई मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 फतहनगर तहसील मावली।
2. जुलेखा पुत्री सुगराबाई मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 फतहनगर तहसील मावली।
3. बेबीबानु पुत्री सुगराबाई मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 फतहनगर तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री बादलसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत निवासी बंगला फतहनगर तहसील मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 13.02.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की आराजी नम्बर 5068 मी., 6556/5068 किता 2 कुल रकबा 0.5018 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हम वादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि में हम वादीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज होकर उक्त कृषि भूमि के हम वादीगण संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा उक्त कृषि भूमि हम वादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि हम वादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में समान हक हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर उक्त कृषि भूमि के हम वादीगण संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा उक्त कृषि भूमि हम वादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जे उपभोग में हैं। उक्त कृषि भूमि पर हम वादीगण का पिछले कई वर्षों से निरन्तर निर्विवाद स्वामित्व अधिकार व आधिपत्य चला आ रहा है हम वादीगण के नाम अंकित उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या अन्य किसी दिगर व्यक्ति का कोई हक स्वत्व अधिकार आधिपत्य नहीं हैं। हम वादीगण की कृषि भूमि के पास प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि स्थित है, प्रतिवादी संख्या 1 हम वादीगण की उक्त कृषि भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की चेष्ठा रखता है और हम वादीगण की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर हम वादीगण की उक्त भूमि का जुज भाग अपनी भूमि में मिलाने की कुचेष्ठा से आए दिन हम वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करता रहता हैं।

3. यह कि हम वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी हम वादीगण के पक्ष में है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि के हम वादीगण संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है हम वादीगण की उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक स्वत्व अधिकार आधिपत्य नहीं है तथा हम वादीगण की उक्त कृषि भूमि पर हम वादीगण का पिछले कई वर्षों से निरन्तर निर्विवाद अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है, प्रतिवादी संख्या 1 हम वादीगण को भारी रंज व नुकसान पहुंचाने कि एव हम वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे उपभोग की भूमि को बलपूर्वक हडपने की कुचेष्ठा से विगत महिनों से हम वादीगण के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने लगा है और हम वादीगण के स्वामित्व व हक हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने, हम वादीगण को अपने हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि से बेदखल कर हम वादीगण की उक्त कृषि भूमि को हडपने कि नियत से हम वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में आए दिन बाधा पहुंचा हम वादीगण की भूमि में जबरन अनाधिकार प्रवेश हो हम वादीगण की कृषि भूमि में जेसीबी मशीन घुसा कर बलपूर्वक मौके पर हम वादीगण की उक्त कृषि भूमि में थौर की बाड व नीम के पेड को जेसीबी मशीन से उखाड दिए है, और बाड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested

नष्ट कर दी है एव ंहम वादीगण को अपनी भूमि से ताकत के बल पर बेदखल करने पर उतारू है जिस पर हम वादीगण द्वारा प्रतिवादी के उक्त कृत्य का विरोध किया तो प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर विवाद किया जिस पर हम वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व पुलिस थाना में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई किन्तु पुलिस थाना द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व कोई कार्यवाही अमल में नही लाए जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के हौंसले और भी बुलन्द हो गए है और प्रतिवादी संख्या 1 हम वादीगण की उक्त भूमि पर येनकेन प्रकरेण कब्जा करने पर उतारू है एवं हम वादीगण को बलपूर्वक बेदखल करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है हितो की रक्षा के लिए हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं हैं। स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुकदमेबाजी बढेगी व मौके पर विवाद होगा एवं हम वादीगण को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा।

4. यह कि वाद कारण दिनांक 09.01.2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने हम वादीगण की भूमि में हस्तक्षेप उत्पन्न कर हम वादीगण को भारी रंज व नुकसान पहुंचाने की नियत से एवं हम वादीगण की उक्त भूमि को बलपूर्वक हडपने की नियत से जेसीबी मशीन घुसा कर बाड व बाड में खडे बबुल व नीम के पेडो को उखाड दिया एव ंहम वादीगण की कृषि भूमि बलपूर्वक हडपने की ऐलानिया धमकी दी तब उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अन्त में निवेदन किया कि हम वादीगण के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 हम वादीगण के स्वामित्व अधिकार आधिपत्य एवं कब्जे उपभोग की भूमि में हम वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई दखलन्दाजी उत्पन्न न करे, न हम वादीगण की उक्त कृषि भूमि में अनाधिकार प्रवेश करे, न ताकत के बल पर हम वादीगण के हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि से बेदखल करे, हम वादीगण को अपनी उक्त कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हम वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में प्र[illegible] कोई बाधा, व्यवधान उत्पन्न न

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested

करे, प्रतिवादीगण रेकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाए रखे। इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

7. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 1327 पर दर्ज आराजी नम्बर 5068, 6556/5068 किता 2 कुल रकबा 0.5018 हेक्टेयर भूमि वादीगण के नाम हिस्सेनुसार सहखातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार नही है। वादीगण का मुख्य रूप से कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 हमारी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से हमारे को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। न्यायालय का विनम्रता पूर्वक अभिमत है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादीगण की खातेदारी भूमि से वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 जबरन बेदखल कर देता है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाये जाते हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested

सनवाड पटवार हल्का सनवाड तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता सं. 1327 पर दर्ज आराजी नम्बर 5068, 6556/5068 किता 2 कुल रकबा 0.5018 हेक्टेयर भूमि की बाड़ को नुकसान नही पहुंचावे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 06/23 (वाद)

GCMS No. : 2023/13

उनवान्

1. श्री सलार मोहम्मद पुत्र सुगराबाई मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 फतहनगर तहसील मावली।
2. जुलेखा पुत्री सुगराबाई मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 फतहनगर तहसील मावली।
3. बेबीबानु पुत्री सुगराबाई मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 फतहनगर तहसील मावली।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री बादलसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत निवासी बंगला फतहनगर तहसील मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 1327 पर दर्ज आराजी नम्बर 5068, 6556/5068 किता 2 कुल रकबा 0.5018 हेक्टेयर भूमि की बाड़ को नुकसान नही पहुंचावे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.02.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested